सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 555 राँची ,सोमवार

5 कार्तिक 1936 (श०)

27 अक्टूबर, 2014 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

25 अक्टूबर, 2014

विषय : राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रक्रिया के निरूपण के संबंध में।

संख्या-13/आर0-1-36/2012-753(6)--राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में वित्त विभाग के पत्रांक-261 दिनांक-29 जनवरी, 2004 एवं विभागीय पत्रांक-354 (10) दिनांक-15 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित है। विगत वर्षों में इसके अनुपालन के क्रम में कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ प्रकाश में आई है, जिस कारण राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उदेद्श्य से उक्त पत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं में कतिपय संशोधन की आवश्यकता है। प्रस्तावित संशोधनों को लागू करने से इस राज्य के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने एवं अपने परिवार की चिकित्सा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त रहेंगे, परिणामस्वरूप उनसे बेहतर कार्य संपादन की संभावना होगी। दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-11 द्वारा निम्न प्रकार स्वीकृति प्रदान की गयी हैं :-

1. राज्य सरकार के सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी रोगों के लिए निशुल्क अन्तर्वासी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। जिन सरकारी अस्पतालों में दवा एवं जांच की सुविधा नहीं

है वहां के चिकित्सा पदाधिकारी के परामर्श के आलोक में बाजार से जांच एवं दवा क्रय की प्रतिपूर्ति की जायेगी। जांच का विपत्र एम्स, नई दिल्ली के दर पर सीमित कर भुगतेय होगा।

2. राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रति माह दिये जा रहे 300 रू0 चिकित्सा भत्ता को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर अधिकतम 6000 रू0 तक की वार्षिक प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा दी जायेगी। यह सुविधा राज्य कर्मी को स्वयं के साथ पत्नी, दो बच्चों (पुत्र 25 वर्ष की आयु तक बशर्ते कि बेरोजगार हो तथा माता-पिता पर आश्रित हो एवं अविवाहित/विधवा/परित्यक्ता पुत्री) तथा आश्रित माता-पिता के लिए देय होगा। यह सुविधा वैसे सेवा निवृत राज्य कर्मियों के लिए भी उपलब्ध होगा जो प्रीमियम का भुगतान स्वयं करना चाहेंगे। प्रीमियम के भुगतान पर होने वाले व्यय का वहन सेवा अवधि में संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा खुली निविदा के माध्यम से आवश्यकतानुसार बीमा कम्पनी का एक पैनल तैयार किया जायेगा, जिसमें सरकारी कर्मी के हितों का ध्यान रखा जायेगा। सभी प्रशासी विभाग इस पैनल में चिन्हित बीमा कम्पनी में से किसी एक कम्पनी के साथ अपने विभाग (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) के कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा के लिए एकरारनामा करेगा।
3. जिन रोगों की चिकित्सा राज्य सरकार के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है अथवा कराये गये बीमा के अन्तर्गत नहीं है, वैसे मामलों में संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा प्राप्त कर अनुमोदित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा की स्वीकृति देकर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
4. यदि चिकित्सा पर बीमित राशि से अधिक का व्यय होता है तो अवशेष राशि का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं की स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा। निदेशक प्रमुख आवश्यकतानुसार रिम्स के विशेषज्ञता का परामर्श प्राप्त करेंगे।
5. उपरोक्त कंडिका 1 से 3 में दी जाने वाली चिकित्सीय सुविधा राज्य के सभी कर्मियों को समान रूप से बीमारी के अनुरूप डायग्नोस्टिक जांच, शल्य क्रिया, दवा एवं संबंधित अन्य चिकित्सीय सुविधा के लिए देय होगा, परन्तु उक्त अस्पतालों/नर्सिंग होम में कमरा/बेड की सुविधा वेतनमान एवं ग्रेड पे पर निम्नवत् आधारित होगा :-

क्रम	वेतनमान/पे बैण्ड की श्रेणी	ग्रेड पे	कमरा/वार्ड के लिए अधिक़त
1	1s, PB 1 & 2	1300 to 4600	General ward
2	PB 2 & 3	4800 to 7600	Private Ward
3	PB 4	8700 to 10000	Deluxe/Special Room

6. वैसी आकस्मिक बीमारियाँ जिनका पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सके उसके चिकित्सा के लिए चिकित्सा परिषद् से घटनोत्तर अनुशंसा प्राप्त की जायेगी।
7. अनुमोदित सूची के बाहर के चिकित्सा संस्थानों में कराई गई चिकित्सा की प्रतिपूर्ति एम्स, नई दिल्ली के दर पर सीमित कर की जायेगी। समय-समय पर इच्छा की अभिव्यक्ति के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त कर राज्य के अन्तर्गत कई अन्य चिकित्सा संस्थानों को चिन्हित भी किया जायेगा।

8. बीमा कम्पनी के चयन के लिए प्रकाशित किये जाने वाले निविदा में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख होगा कि हेपेटाईटिस बी0, लीवर सिरोसिस, हिमोफीलिया, एप्लास्टिक एनीमिया, एड्स, काला जार, लकवा, लिवर प्रत्यारोण, गुर्दा रोग में डायलेसिस आरम्भ होने पर, ब्लड प्रेशर, डाईबिटीज, हृदय रोग एवं कैंसर आदि के बहिर्वासी चिकित्सा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भी अनुमान्य होगा।
9. यदि बीमा कम्पनी द्वारा उपरोक्त कंडिका-8 पर सहमति नहीं दी जाती है तब हेपेटाईटिस बी0, लीवर सिरोसिस, हिमोफीलिया, एप्लास्टिक एनीमिया, एड्स, काला जार, लकवा, लिवर प्रत्यारोपण, गुर्दा रोग में डायलेसिस आरम्भ होने पर, ब्लड प्रेशर, डाइबिटीज, हृदय रोग एवं कैंसर आदि बहिर्वासी चिकित्सा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति प्रशासी विभाग द्वारा किया जायेगा।
10. राज्य कर्मी चिकित्सा के लिए चिकित्सा संस्थान के प्राक्कलन के आधार पर अधित्तम 80% राशि अग्रिम के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। अगिम की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के उपरान्त प्रशासी विभाग द्वारा दिया जायेगा। चिकित्सा अगिम की राशि के व्यय का वहन संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी के वेतन शीर्ष से ही किया जायेगा। स्वस्थ होने के पश्चात् छः माह के अन्दर प्राप्त चिकित्सा अगिम का समायोजन नहीं कराया जाता है, तो अगिम की राशि 12% ब्याज सहित वसूल करने के लिए नियंत्री पदाधिकारी सक्षम होंगे।
11. राज्य के बाहर चिकित्सा के क्रम में यात्रा के लिए संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके एक सहयोगी को सिर्फ अनुमान्य यात्रा भत्ता ही देय होगा। इस यात्रा के लिए रोड माईलेज, इन्सिडेन्टल चार्ज, विश्राम भत्ता देय नहीं होगा।
12. प्रशासी विभाग अपने कर्मियों की चिकित्सा के स्वीकृति प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति लेकर स्वीकृत्यादेश निर्गत करेंगे। प्रशासी विभाग चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के पूर्व व्यय राशि का आकलन करते हुए संचिका विपत्रों की जांच एवं प्रतिहस्ताक्षर हेतु निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य निदेशालय, नामकुम, रांची को भेजेंगे। निदेशालय द्वारा विपत्रों के जांच एवं प्रतिहस्ताक्षर के बाद संचिका प्रशासी विभाग को वापस भेजेंगे।
13. राज्य चिकित्सा पर्षद की अनुशंसा के पश्चात् तीन बार चेकअप/चिकित्सा की विभागीय स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद भी आवश्यकता पड़ने पर राज्य चिकित्सा पर्षद द्वारा पुनः अनुशंसा अपेक्षित होगी।
14. प्रीमियम के भुगतान के लिए वेतन मद में एक अलग उपशीर्ष खोला जायेगा, जिसके अन्तर्गत बजटीय उपबंध कर चयनित बीमा कम्पनी को प्रीमियम का भुगतान संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा किया जायेगा।
15. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत सभी आदेश/संकल्प/परिपत्र इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
बी0 के0 त्रिपाठी,
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 555–50 ।